



Neutral Citation No.-2026:AHC:8025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-43931 वर्ष 2024

शैलेंद्र कुमार सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आर.पी. मिश्र

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: रूपेश कुमार सिंह, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज दायर किए गए प्रत्युत्तर हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री आर.पी. मिश्रा और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार सिंह के साथ-साथ राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मामले अपराध संख्या-138 वर्ष 2021 में थाना-उतरावन, जिला: इलाहाबाद की धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी, 506 भन्द्०वि० के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। आवेदक को लोहे की छड़ से मृतक व्यक्ति पर हमला करने की भूमिका सौंपी गई है। घटना में कोई अन्य घायल व्यक्ति नहीं है, जबकि यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा सूचनाकर्ता और उसकी बहन पर भी हमला किया गया था।



5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि तथ्य के सभी गवाहों की जांच की गई है, इस प्रकार, आवेदक द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। वह उड़ान जोखिम नहीं है।

6. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 10.05.2021 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. तत्स्य विपरीत, सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

8. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 11.12.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आठ गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और आरोपी का बयान 18.12.2025 को धारा 313 द०प्र०स० के तहत दर्ज किया जाना था, इस तरह, मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।

9. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मुख्य हमलावर है और मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह उचित मामला नहीं लगता।

11. तदनुसार, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

12. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले का निर्णय **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से किया जाए। यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

14. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत प्रस्तुत करें।

जनवरी 13, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)